

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी, 3 1979/माघ 14, 1900
No. 59] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 1979/MAGHA 14, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

राम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1979

फारम 48(घ)—कानूनी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की
धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्-
द्वारा 4 फरवरी, 1979 को उस शारीर के रूप में नियत करती है, जिसकी उक्त अधिनियम
के धार्या 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रदत्त की जा चुकी है) और
धार्या 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के

सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध मध्य प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

"जिला एवं तहसील इन्दौर में खजराना, पिप्लहाना, मुसाखेड़ी, बिजलपुर, तेजपुर गार्बादी, मिरपुर, बानगंगा, सुक्लिया, नरवार, कबीरखेड़ी और निरंजनपुर के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत क्षेत्र।"

[सं० एस०-38013/3/79-एच०आई०]

हंस राज छाबड़ा, उप-सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1979

S.O. 66(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 4th February, 1979 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Madhya Pradesh, namely:—

"The areas within Revenue villages of Khajarana, Piplyahana, Musakhedi, Bijalpur, Tejpur Garbadi, Sirpur, Banganga, Suklia, Narwar, Kabirkhedi and Niranjapur in Tehsil and District Indore."

[No. S-38013/3/79-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.